

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना


राँची, दिनांक- 04/03/2023 ई०।

13/पी०-103/2020- 1055/सी० भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान Level-12 of Pay Matrix में इस शर्त के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, फेज-III पूर्ण कर लिया जाय :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री चन्दन कुमार झा, भा०पु०से०(2011)	01.01.2020
2	श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा०पु०से०(2011)	01.01.2020
3	श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से०(2011)	01.01.2020
4	श्री अम्बर लकड़ा, भा०पु०से०(2011)	01.01.2020
5	श्री आशुतोष शेखर, भा०पु०से०(2014)	01.01.2023
6	श्री पियूष पाण्डेय, भा०पु०से०(2014)	01.01.2023
7	श्री प्रभात कुमार, भा०पु०से०(2014)	01.01.2023
8	श्री अमन कुमार, भा०पु०से०(2014)	01.01.2023

(ii) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
04.03.2023  
(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 13/पी०-103/2020- 1055 / राँची, दिनांक- 04/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
04.03.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 13/पी०-103/2020- 1055 / राँची, दिनांक- 04/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

  
04.03.2023  
सरकार के अवर सचिव।